राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 119/2021

GCMS No. 2021/536

1. जगदीश पुत्र श्योपाल उम्र 65 वर्ष
2. भजनलालपुत्र श्योपाल उम्र 60 वर्ष
3. गिन्दोड़ी पुत्री श्योपाल पत्नी बन्शी उम्र 68 वर्ष
4. गीन्दो देवी पत्नी भजन लाल उम्र 58 वर्ष
5. सुवा देवी पत्नी जगदीश उम्र 63 वर्ष समस्त जाति गुर्जर निवासी रोजड़ा तहसील खतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादीगण

ब–ना–म

1. अभयराम पुत्र रामकुमार उम्र 33 वर्ष
2. नानूड़ी पत्नी रामकुमार उम्र 65 वर्ष
3. रोहतास पुत्र रामकुमार उम्र 28 वर्ष
4. श्योसहाय पुत्र रामकुमार उम्र 30 वर्ष
5. कृष्ण पुत्र रामेश्वर उम्र 55 वर्ष
6. नेतराम पुत्र रामेश्वर उम्र 62 वर्ष
7. भाती पत्नी रामेश्वर उम्र 80 वर्ष
8. महेश पुत्र रामेश्वर उम्र 45 वर्ष
9. लीलाराम पुत्र रामेश्वर उम्र 48 वर्ष
10. रामकरण पुत्र रामेश्वर उम्र 50 वर्ष
11. गोकलराम पुत्र श्योदान उम्र 72 वर्ष
12. धमनाराम पुत्र श्योदान उम्र 50 वर्ष
13. शांति देवी पत्नी धन्सीराम उम्र 55 वर्ष
14. कर्णसिंह पुत्र धन्सीराम उम्र 22 वर्ष
15. मातादीन पुत्र मोहरू उम्र 56 वर्ष
16. कमला पुत्री मोहरू उम्र 70 वर्ष
17. भगोती पुत्री मोहरू उम्र 62 वर्ष
18. शांति पुत्री मोहरू उम्र 65 वर्ष समस्त जाति गुर्जर निवासी रोजड़ा तहसील खेतड़ी।
19. शीशराम पुत्र सरबती पुत्री मोहरू पत्नी चुन्नीलाल उम्र 45 वर्ष
20. गुलझारी लाल पुत्र सरबती पुत्री मोहरू पत्नी चुन्नीलाल उम्र 47 वर्ष जाति गुर्जर निवासी भेडन्टी तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
21. विजय कुमार पुत्र बन्शी उम्र 46 वर्ष जाति गुर्जर निवासी रोजड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
22. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नानूवाली बावड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

23. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शिमला जरिये शाखा प्रबंधक।
24. भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी

........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन व रिकार्ड दुरूस्ती

–: निर्णय :– **दिनांक 17–02–2023**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21–02–2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम रोजड़ा स्थित भूमि खाता सं. 131 ख.नं. 455 रकबा 0.84 है., ख.नं. 460 रकबा 0.34 है., ख.नं. 468 रकबा 0.27 है., ख.नं. 614 रकबा 0.02 है., ख.नं. 615 रकबा 0.03 है., ख.नं. 833/612 रकबा 0.21 है. कुल किता 6 कुल रकबा 1.77 है. में वादीगण सं. 1 से 3 प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्से का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है।

ग्राम रोजड़ा स्थित भूमि खाता सं. 132 ख.नं. 139 रकबा 0.30 है., ख.नं. 140 रकबा 0.26 है., ख.नं. 141 रकबा 0.27 है., ख.नं. 142 रकबा 0.30 है., ख.नं. 459 रकबा 0.33 है., ख.नं. 613 रकबा 0.02 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.48 है. में वादीगण सं. 1 से 3 का प्रत्येक का 3/25–3/25 हिस्से का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है।

ग्राम रोजड़ा स्थित भूमि खाता सं. 133 ख.नं. 138 रकबा 0.30 है., ख.नं. 616 रकबा 0.11 है., ख.नं. 617 रकबा 0.10 है., ख.नं. 618 रकबा 0.09 है., ख.नं. 619 रकबा 0.13 है., ख.नं. 620 रकबा 0.11 है., ख.नं. 621 रकबा 0.68 है. कुल किता 7 कुल रकबा 1.52 है. में वादीगण सं. 1 से 3 प्रत्येक का 9/76–9/76 हिस्से का तथा वादिया संख्या 5 का 121/912 हिस्से का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है।

ग्राम रोजड़ा स्थित भूमि खाता सं. 206 ख.नं. 471 रकबा 0.29 है. में वादीगण सं. 1 से 3 प्रत्येक का 3/25–3/25 हिस्से का व वादिया सं. 4 का 7/145 हिस्से का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है।

ग्राम रोजड़ा स्थित भूमि खाता सं. 207 ख.नं. 469 रकबा 0.27 है., ख.नं. 473 रकबा 0.82 है., ख.नं. 609 रकबा 0.22 है., ख.नं. 610 रकबा 0.18 है., ख.नं. 611 रकबा 0.28 है., ख.नं. 612 रकबा 0.24 है. कुल किता 6 कुल रकबा 2.01 है. में वादीगण सं. 1 से 3 प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्से का, वादिया सं. 4 का 16/335 हिस्से का तथा वादिया सं. 5 का 163/2010 हिस्से का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादिया सं. 3 का नाम ज्ञाना के स्थान पर गिन्दोड़ी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2022/210 दिनांक 12.01.2022 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12–01–2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12–01–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–12'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12–01–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–12'' व ''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12–01–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–12'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12–01–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–12'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

ठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

जगदीश आदि

ब–ना–म

अभयराम आदि

दावा बाबत **खाता विभाजन व रिकार्ड दुरूस्ती**

मुकदमा नम्बर :– **119 / 2021**

निर्णय दिनांक :– **17–02–2023**

वादीगण की ओर से **श्री राधाकृष्ण शर्मा एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से **श्री विजय कुमार जांगिड़ एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **17–02–2023** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12–01–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–12" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12–01–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–12" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **17–02–2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner